उत्तर रेलवे

पत्र सं0 ई–81/ए डी जे/फिरोजपुर/0
दिनांकः 16/01/2018

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक
उत्तर रेलवे, फिरोजपुर

"G"-कैटेगरी

कार्यालय आदेश

विषयः– समयोपरि भत्ते के संबंध में प्रकिया आदेश।

समयोपरि भत्ते के भुगतान में होने वाले विलंब एवं प्रकिया में सुधार के लिए निम्नलिखित आदेश तुरंत प्रभाव से कियान्वयन हेतु जारी किये जाते है।

1. वरिष्ठ पर्यवेक्षक

समयोपरि अवधि समाप्त होने के पश्चात 15 दिन के अंदर-अंदर संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षक समयोपरि भत्ते के बिल बनवाकर घण्टों, दर एवं राशि की गणना कर ADJ 7 सहित अपने शाखा अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर देंगे.

2. शाखा अधिकारी

समयोपरि बिल प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर शाखा अधिकारी उक्त समयोपरि भत्ते के बिल स्वीकृत/अस्वीकृत कर सहायक कार्मिक अधिकारी को सीधे प्रेषित करेंगे

3. सहायक कार्मिक अधिकारी

समयपरि भत्ते की शाखा अधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात सभी बिल हित अनुभाग के समयोपरि हेतु नामित एक ही लिपिक द्वारा प्राप्त किये जाएगें, तथा 7 दिन के अंदर समयोपरि भत्ते के बिल को अभिलेख में इंदराज करेंगे. (असामान्य समयोपरि भत्ते में बिलों को अपर मंडल रेल प्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक के संज्ञान में लाएंगे, आवश्यक हो तो हित निरीक्षक को जांच हेतु नामित करेंगे) तथा वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक को सत्यापन हेतु प्रेषित करेंगे.

4. लेखा शाखा/वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक

समयोपरि भत्ते के बिल्स वित विभाग में एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त किये जायेगें तथा 7 दिन के अंदर अंदर सत्यापित एवं विविक्षित कर वेतन बिल में लगाने हेतु वापिस हित अनुभाग के नामित लिपिक के पास भेजे जायेगे।

(क्रमशः)

Scanned by CamScanner

5. लेखा विभाग से सत्यापित एवं विविक्षित समयोपरि बिल्स हित अनुभाग के नामित लिपिक द्वारा तुरंत ही वेतन बिल बनाने वाली यूनिट को समयोपरि भत्ते को उसी माह में चार्ज करने हेतु भेज दिये जायेगें।

6. पूर्व प्रकिया जिसमें समयोपरि भत्ते के दस हजार रूपये से ऊपर के बिल अपर मंडल रेल प्रबंधक को तथा पच्चीस हजार से ऊपर के बिल मंडल रेल प्रबंधक को अनुमोदन के लिए भेजें जाते थे को अब तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

7. यदि निर्धारित समय सीमा के पश्चात तीस दिन से अधिक की अवधि हो जाती है तो उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों को सक्षम अधिकारी (मंडल रेल प्रबंधक) का अनुमोदन प्राप्त है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का) 16.1.18
उत्तर रेलवे, फिरोजपुर

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. सचिव/मं0रे0प्र0 को मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सूचनार्थ।
2. अ0मं0रे0प्र0/फिरोजपुर/जम्मुतवी
3. सभी शाखा अधिकारी/फिरोजपुर मंडल
4. मंडल सचिव, NRMU/URMU/FZR
5. मंडल सचिव, AISC&STREA/AIOBCREA

Scanned by CamScanner